



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 112 राँची, मंगलवार, 28 फरवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

6 फरवरी, 2023

संख्या-5/आरोप-1-125/2016-18888 (HRMS)--श्री विजय कुमार सोनी, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-177/20, गृह जिला- हजारीबाग), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजमहल, साहेबगंज के विरुद्ध उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-2411/जि०ग्रा०, दिनांक 20.09.2016 के द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-‘क’ में श्री सोनी के विरुद्ध मनरेगा अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में बिना कार्य के भुगतान करना, फर्जी मास्टर रॉल का निर्माण कर गलत ढंग से एफ०टी०ओ० जेनेरेट कर राशि का गबन करना, डोभा निर्माण में अनियमितता बरतने एवं सरकारी दिशा- निर्देश का उल्लंघन करने संबंधी सात आरोप गठित किये गये हैं ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8839, दिनांक-13.10.2016 द्वारा श्री सोनी से स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके अनुपालन में श्री सोनी के पत्रांक-शून्य, दिनांक-09.01.2017 द्वारा स्पष्टीकरण तथा पत्रांक-शून्य, दिनांक-20.01.2017 द्वारा अनुपूरक स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा आरोपों को गलत बताया गया ।

श्री सोनी के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1546, दिनांक-21.02.2017, पत्रांक-91, दिनांक-04.01.2019, पत्रांक-5702, दिनांक-18.07.2019 द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, साहेबगंज का मंतव्य अप्राप्त रहने पर समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०- 464(HRMS), दिनांक 22.01.2020 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-597, दिनांक 15.09.2020 द्वारा श्री सोनी के विरुद्ध जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जिसमें जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए एक भी आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित है कि मनरेगा आयुक्त के द्वारा प्रतिवेदित योजनाओं में प्रतिवेदित अनियमितता एवं गड़बड़ी की शिकायत पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा योजनाओं की जाँच एवं मापी कराते हुए अंतर की राशि की वसूली की गई है। उनके द्वारा प्रतिवेदित है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा योजनाओं का पर्यवेक्षण/निरीक्षण किया गया है एवं अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई भी की गई है।

अतः समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री विजय कुमार सोनी, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजमहल, साहेबगंज सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ओरमांझी, राँची को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री विजय कुमार सोनी, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BIJAY KUMAR SONI 110001163082	श्री विजय कुमार सोनी, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-177/20) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजमहल, साहेबगंज को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
